फर्द अहकाम

श्रीराम बनाम रामलाल

नाम न्यायालय ACM आमेर, जयपुर

केस संख्या 33/2022 (TR)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	18/3/25	पत्रावली प्रस्तुत। प.क्र.उप. उभयपक्ष आ.ता. पेशी पर आवश्यकरूप से बहस करे। अन्यथा उपलब्ध के आधार पर निर्णय किया जायेगा। पत्रावली दिनांक 1/4/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	1/4/2025	पत्रावली प्रस्तुत। प.क्र.उप.। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अप्रार्थी अधिवक्तागण ने बहस हेतु समय चाहा। आ.ता. पेशी पर बहस आवश्यकरूप से करे। अन्यथा उपलब्ध के आधार पर निर्णय किया जायेगा। पत्रावली दिनांक 2/4/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	2/4/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व०प०० उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रस्तुत तर्कों, दस्तावेजात, एवं न्यायिक दृष्टांतो के मद्देनजर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है अतः उभयपक्ष को विवादित आराजी पर मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश [illegible] तक बनाये रखने के लिए जारी किये। निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:39:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी: सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 33/2022

श्रीराम पुत्र रामलाल जाति अहिर निवासी गाम बीड की ढाणी रायथल तहसील आमेर जिला जयपुर 303801

................प्रार्थी

बनाम

1. रामलाल पुत्र महादेव जाति अहीर निवासी ग्राम बीड की ढाणी रायथल तहसील आमेर जिला जयपुर
2. सीताराम पुत्र महादेव जाति अहीर निवासी ग्राम बीड की ढाणी रायथल तहसल आमेर जिला जयपुर
3. श्रवणलाल पुत्र महादेव जाति अहीर निवासी ग्राम बीड की ढाणी रायथल तहसल आमेर जिला जयपुर
4. कन्हैयालाल पुत्र महादेव जाति अहीर निवासी ग्राम बीड की ढाणी रायथल तहसल आमेर जिला जयपुर
5. अर्जुनलाल पुत्र रामलाल जाति अहीर निवासी ग्राम बीड की ढाणी रायथल तहसल आमेर जिला जयपुर
6. बद्री पुत्र सुवालाल जाति बागडा निवासी ग्रम सबलपुरा तहसील आमेर
7. श्रवण पुत्र सुवालाल जाति बागडा निवासी ग्राम सबलपुरा तहसील आमेर जयपुर
8. श्रवण पुत्र सुवालाल जाति बागडा निवासी ग्राम सबलपुरा पहसील आमेर जयपुर
9. प्रबंधक आईसीआईसीआई बैंक शाख रायथल तहसील आमेर
10. प्रबंधक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा जालसू तहसील आमेर जयपुर
11. उप पंजीयक जालसू तहसील आमेर जिला जयपुर
12. सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:39:24 IST
Reason: SelfAttested

..................अप्रार्थीगण

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र

उपस्थिति :– (1) श्री भगवान सहाय शर्मा – अधिवक्ता प्राथी की ओर से
(2) श्री महेश चन्द शर्मा – अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से
(3) श्री घीसालाल कुमावत – अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से

निर्णय दिनांक:– 02.04.2025

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि वाके ग्राम रायथल, पटवार हल्का रायथल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बरान 371/1423 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 375 रकबा 0.057 हैक्टेयर, 375/1426 रकबा 0.010 हैक्टेयर, 376 रकबा 0.34 हैक्टेयर, 377 रकबा 0.65 हैक्टेयर, 378 रकबा 0.38 हैक्टेयर, 378/1427 रकबा 0.02 हैक्टेयर, 378/ 1429 रकबा 0.02 हैक्टेयर, रकबा 0.02. 378/1430 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 379 हैक्टेयर, 390 रकबा 1.33 हैक्टेयर, 390/1435 रकबा 0. 07 हैक्टेयर 391 रकबा 0.73 हैक्टेयर, 391/1436 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 402 रकबा 0.27 हैक्टेयर, 403 रकबा . 1.21 हैक्टेयर, कुल किता 16 कुल रकबा 6.88 हैक्टेयर के जमाबंदी सम्बत् 2069–2072 के अनुसार खातेदार काश्तकार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 5 के दादा व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के पिता स्वर्गीय महादेव पिव मु० भींवा जाति अहीर साकिन देह खातेदार थे। जिनका स्वर्गवास दिनांक 10.04.2013 को होने पर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 622 दिनांक 27.05.2014 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के पक्ष में तस्दीक किया गया । तथा वाके ग्राम बल्लूपुरा, पटवार हल्का रायथल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बरान 16 रकबा 0. 21 हैक्टेयर, 20 रकबा 0.21 हैक्टेयर, 8 रकबा 0.67 हैक्टेयर, 9 रकबा 0.47 हैक्टेयर, कुल किता 4 कुल रकबा 1.56 हैक्टेयर के जमाबंदी सम्बत् 2075 2078 के अनुसार रेकार्डेड खातेदार काश्तकार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 5 के दादा व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के पिता स्वर्गीय महादेव पिं० मु० भींवा जाति अहीर साकिन देह खातेदार दर्ज है। साथ ही वाके ग्राम चकजयसिंहपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बरान 2 रकबा 0.80 हैक्टेयर, 3 रकबा 0.92 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 1.72 हैक्टेयर के जमाबंदी सम्बत् 2067–2070 के अनुसार हिस्सा 1/4 के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 5 के दादा व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के पिता स्वर्गीय महादेव पि० मु० भींवा जाति अहीर खातेदार दर्ज थे। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 5 के दादा व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के पिता स्वर्गीय महादेव पिव मु० भींवा का स्वर्गवास दिनांक 10.04.2013 को होने पर उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के नाम अंकित हुई। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के नाम हाल जमांबदी मे सम्वत् 2075 – 2078 मे अंकन ओ रहा है । प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 3 व 5 मे वर्णित आराजीयात् में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज किया गया है, तथा प्रार्थना पत्र के मद संख्या 4 मे वर्णित आराजीयात् के खातेदार प्रार्थी के पिता स्वर्गीय महादेव पिव मु० भींवा के नाम दर्ज भूमि विवादग्रस्त है, जिसे प्रार्थना पत्र के उक्त मदो में भूमि विवादग्रस्त से संबोधित किया जावेगा । प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 लगायत 5 में वर्णित विवादग्रस्त भूमि प्रार्थी की पैत्रिक संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित सहदायिकी कृषि भूमि है, प्रार्थी महादेव पिव मु० भींवा का पौत्र है, महादेव का स्वर्गवास दिनांक 10.04.2013 को हो गया है, प्रार्थी का जन्म उसके दादा महादेवं पिव मु० भींवा के जीवनकाल में वर्ष 1984 में होने के कारण प्रार्थी अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:39:24 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1 के साथ कोपर्सनर से महादेव की सम्पति मे जन्म से ही हक अधिकार निहित है । प्रार्थी अपने पैत्रिक खातेदारी की भूमि में अपने पिता अप्रार्थी संख्या 1 रामलाल पुत्र महादेव के हिस्से मे से 1/3 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, तथा अपने पिता अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी मे से प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 5 हिस्सा 1/3, 1/3, तथा महादेव पुत्र भींवा के नाम प्रार्थना पत्र के मद संख्या 4 मे वर्णित भूमि मे से हिस्सा 1/12 का प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 हिस्सा 1/12 अप्रार्थी संख्या 1 हिस्सा 1/12, का विभाजन करवाने व खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने का अधिकारी है प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 मे वर्णित खसरा नम्बरान 375, 375/1426, 376, 377, 378/1427, 378/1430, 379, 402, 403, कुल किता 09 रकबा 3.27 हैक्टयर भूमि का हिस्सा 1/4 भाग एवं खसरा नम्बर 378 रकबा 1.38 हैक्टयर भूमि का हिस्सा 1/4 भाग का हिस्सा 36/69 एवं खसरा नम्बर 390, 390/1435, 391, 391/1436, कुल किता 4 रकबा 2.04 हैक्टयर भूमि का हिस्सा 1/4 भाग का हिस्सा 32/107 भाग का प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 08.03. 2022 को त्यागपत्र अप्रार्थी संख्या 2 के हक कर दिया, प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पैत्रिक संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित भूमि में अपने में निहित हिस्से से अधिक भूमि का त्यागपत्र करने का कानूनी अधिकार नही था, त्याग पत्र में प्रार्थी के हिस्से की सहदायिकी संपत्ति का किया गया त्याग पत्र प्रारंभ से ही प्रभावशुन्य है तथा प्रभाव शून्य त्याग पत्र के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 को कोई हक व अधिकार विरूद्व प्रारम्भ से ही नल एण्ड वोईड है, इस प्रकार विवादग्रस्त भूमि में, अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पैत्रिक सहदायिकी सम्पत्ति में प्राप्त हिस्से से अधिक का किये गये हक त्यागपत्र से अप्रार्थी संख्या 2 कोई हक व अधिकार उत्पन्न नही होते है । अप्रार्थी संख्या 2 दिनांक 27.03.2022 को विवादग्रस्त भूमि पर अन्य भूमाफिया व्यक्तियों को लेकर आया तथा प्रार्थी को धमकी दी कि विवादग्रस्त भूमि जो हकत्याग पत्र मैने मेरे स्वयं के नाम अप्रार्थी संख्या 1 से करवाये है, उसका दीगर व्यक्तियों को विक्रय करके रहुँगा, तथा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज अन्य भूमि विवादग्रस्त तथा विरासत मे महादेव पि. मु. भींवा से मिलने वाली भूमि का भी विक्रय करवा दूंगा, अप्रार्थी के उक्त कथन के पश्चात् प्रार्थी ने अपने पिता अप्रार्थी संख्या 1 से बातचीत की जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 ने हकत्याग पत्र करने से मना किया तथा बताया कि मुझे पता नहीं कि अप्रार्थी संख्या 2 ने कब त्यागपत्र मेरे से करवा लिया द्य प्रार्थी का पिता अप्रार्थी संख्या 1 जो कि लगभग 64 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है, जो स्वयं अपने आप अपना भला–बुरा समझने में असमर्थ होने के कारण दीगर व्यक्तियों के कहने में है उक्त अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा की गयी धमकी व कृत्य से स्पष्ट है कि येन केन प्रकारेण अप्रार्थी संख्या 1 से पैत्रिक सम्पत्ति को खुर्द–बुर्द करवाने पर आमादा है, अप्रार्थी संख्या 1 जो कि. अपना भला बुरा समझने मे असमर्थ है जो कि अप्रार्थी संख्या 2 के बहकावे में आकर प्रार्थी की पैतृक संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित भूमि को येन केन प्रकारेण खुर्द–बुर्द करने पर आमदा है । तथा प्रार्थी ने खसरा न० 390/1435 में पशुओं का बाडा, नौहरा, निर्मित किया है उक्त खसरे मे विधुत कनेक्शन अपने दादा महादेव के नाम से ही जारी करवाया हुआ है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:39:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर

प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने की अधिकारी है कि अंप्रार्थी संख्या 1 व 2 विवादग्रस्त भूमि का बेचान खुर्द बुर्द हस्तान्तरण आदि नही करे तथा भूमि विवादग्रस्त मे प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी नही करें। मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे । 11. यह कि वादकारण दिनांक 27.03.2022 को भूमि विवादग्रस्त अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं के नाम खातेदारी होने व अप्रार्थी संख्या 2 के हक मे त्यागपत्र करने से वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द करने की धमकी तथा प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ, जो लगातार जारी है ।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत रजि0ए0डी0 नोटिस जारी किए गए जिन्हें बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके मुख्य तथ्य इस प्रकार से है कि महादेव पुत्र भींवा के अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 पुत्र है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 5 अप्रार्थी संख्या 1 के पुत्र है मद हाजा में वर्णित महादेव की पुत्री केसर देवी का स्वर्गवास होना वर्णित किया है लेकिन केसर देवी के वारिसान वर्णित नही है। महादेव के स्वर्गवास के पश्चात नामान्तकरण संख्या 622 दिनांक 27–5–2014 को महादेव की पत्नी सिणगारी व पुत्रियां बिदामी देवी केसर देवी सीता देवी द्वारा अपने हिस्से का त्याग पत्र अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के हक में किये जाने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के पक्ष में नामान्तकरण तस्दीक किया गया है । महादेव के स्वर्गवास के पश्चात प्रार्थना पत्र के मद संख्या 3 व 5 में वर्णित आराजीयात का नामान्तकरण महादेव की पत्नी सिणगारी व पुत्रियों बिदामी देवी, केसर देवी, सीता देवी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के पक्ष में त्याग करने के पश्चात हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 महादेव के प्रथम श्रेणी के वारिस होने से तस्दीक किया गया है तथा खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज की गई है। प्रार्थना पत्र के मद संख्या 4 में वर्णित आराजी का नामान्तकरण अभी महादेव के वारिसान अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के हक में तस्दीक होना शेष हैं। महादेव की सम्पत्ति में प्रार्थी का कोई अधिकार नही है। इसलिये प्रार्थी के नाम नामान्तकरण महादेव की मृत्यु पर तस्दीक नही किया गया है। वाद के मद संख्या 2 लगायत 4 में वर्णित आराजी का संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पत्ति नही है। इसलिये प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 5 को उक्त आराजी में अपने पिता के जीवनकाल में कोई अधीकार व हिस्सा नही हैं। प्रार्थी अपने पिता अप्रार्थी संख्या 1 रामलाल के किसी भी अंश व हिस्से पर काबिज काश्त नही चला आ रहा है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 5 का अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्से रामलाल में से उसका कोई हिस्सा नही है। प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी में से अप्रार्थी संख्या 1 के जीवनकाल में विभाजन कराने व घोषणा कराने का कोई अधिकार नही है। महोदव

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:39:24 IST
Reason: SelfAttested

पुत्र भीवा के नाम से प्रार्थना पत्र के मद संख्या 4 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का कोई हिस्सा नही है। न ही उसको प्रार्थी के जीवनकाल में विभाजन व घोषणा कराने का अधिकार हैं । यह कि ग्राम रायथल तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 375, 375/1426, 376, 377, 378/1427, 378/1430, 379, 402, 403 कुल किता 9 कुल रकबा 3.28 हैक्टेयर भूमि के हिस्सा 1/4 भाग एवं खसरा नम्बर 404 रकबा 0.04 हैक्टेयर के हिस्सा 1/20 एवं खसरा नम्बर 378 रकबा 1.38 हैक्टेयर भूमि के हिस्सा 1/4 भाग का हिस्सा 39/69 भाग एवं खसरा नम्बर 390, 390/1435, 391, 391/1436 कुल किता 4 कुल रकबा 2.14 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा 1/4 भाग के हिस्सा 32/107 भाग का मिन अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 8/3/2022 को भूमि एकजाई करने के लिये अप्रार्थी संख्या 2 सीताराम के हक में हक त्याग पत्र पंजीबद्ध कराया है, तथा इसी प्रकार से अप्रार्थी संख्या 2 सीताराम ने ग्राम टाडावास तहसील आमेर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 824 रकबा 0.63 हैक्टेयर भूमि का बख्शीशनामा मिन अप्रार्थी के हक में पंजीबद्ध कराया गया है तथा ग्राम टाडावास तहसील आमेर में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 823 रकबा 0.77 हैक्टेयर भूमि में निहित अप्रार्थी संख्या 2 सीताराम ने अपने हिस्सा 1/3 भाग एवं खसरा नम्बर 811 रकबा 1.45 हैक्टेयर भूमि में निहित सीताराम ने अपने हिस्सा 1/8 भाग एवं ग्राम चक जयसिंहपुरा तहसील आमेर में अवस्थित खसरा नम्बर 2 व 3 कुल किता 2 कुल रकबा 1.72 हैक्टेयर में निहित अपने 1/16 भाग का त्याग पत्र मिन अप्रार्थी के हक में उसी दिनांक 8/3/2022 को पंजीबद्ध कराया हैं। मिन अप्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के हक में कराये गये त्याग पत्र एवं अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा मिन अप्रार्थी के हक में कराये गये बख्शीशनामे व त्याग पत्र से जो भूमि आई है उनका रकबा व मूल्य समान है मिन अप्रार्थी ने भूमि किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द नही की है। बल्कि इकजाई भूमि करने के लिये पूर्व से चले आ रहे कब्जे अनुसार एक दूसरे ने त्याग पत्र व बख्शीशनामें करवाये है जो किसी प्रकार से प्रभाव शून्य नही है और न ही किसी के हितो के विरूद्ध है । अप्रार्थी संख्या 1 के परिवार की सुविधा व खेती की सुविधा की दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये आपस में त्याग पत्र व बख्शीशनामा कराने का पूर्ण अधिकार है प्रार्थी को उक्त तथ्यों का ज्ञान होते हुये भी प्रार्थी ने सम्पूर्ण तथ्य वाद में नही लिखे है तथा सारभूत तथ्य छिपाकर वाद प्रस्तुत किया है। त्याग पत्र रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिसको प्रभावशून्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार मान्य राजस्व न्यायालय को नही है। त्याग पत्र को प्रभाव शून्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को ही है। वाद प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:39:24 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 9 ने जवाब में अंकित किया की सम्पत्ति को पक्षकारान द्वारा अपने हिस्से को बैंक के समक्ष रहन रख रखा है ऐसी अवस्था में भूमि का प्रथम अधिकार बैंक को है ताकि रहन की ऋण वसूल की जा सके।

प्रार्थी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबंदी संवत 2073–76 खाता संख्या 28 ग्रम रायथल, जमाबंदी संवत 2069–72 खाता संख्या 162 ग्राम रायथल, फोटोप्रति

नामान्तकरण संख्या 622 दिनांक 27.0.2014 ग्राम रायथल, फोटोप्रति संवत 2075–78 खाता संख्या 40 ग्राम बल्लूपुरा, फोटोप्रति संवत 2075–78 खाता संख्या 19 ग्राम चकजयसिंहपुरा एवं राशनकार्ड की प्रति, बिजली का बिल की प्रति पेश की।

उभयपक्षीय विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजात् व उभयपक्षीय बहस का अवलोकन व मनन किया। सुसंगत न्यायिक प्रावधानों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का है। जिसमें प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू को देखा जाना है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी, नामान्तकरण से साबित किया है उक्त आराजी पैतृक संपत्ति हैं तथा प्रार्थी की पैत्रिक संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित सहदायिकी कृषि भूमि है, प्रार्थी महादेव का पौत्र है, महादेव का स्वर्गवास भी हो गया है, प्रार्थी का जन्म उसके दादा महादेव पि0 मु0 भींवा के जीवनकाल में वर्ष 1984 में होने के कारण प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 के साथ कोपर्सनर से महादेव की सम्पति मे जन्म से ही हक अधिकार निहित है जैसा कि 1981, RRD 512 में उल्लेख है कि Devolution of tenanceies- Right of son by birth in ancestral land during life time of father- Held that Hindu sons have right by birth in ancestral holding in hands of father even during life time and can claim partition. जिससे प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित है। विवाद पैतृक सम्पति का है यदि उभयपक्ष को पाबंद नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की प्रबल संभावना है ऐसी स्थिति में मूल वाद के निर्णय तक वादग्रस्त आराजी की स्थिति यथावत रखा जाना आवश्यक होता है। जैसा कि RBJ (19) 2012 में वर्णित किया गया है कि When plaintiffs have prima facie made out a case that the land in question was ancestral property of the joint family and the defendants petitioners failed to show prima facie that a part therof was self acquired. Temporary injuction against alienation of the land in question and order for maintaining status quo until final disposl of the suit rightly passed. इसके अतिरिक्त 2023 (2)RRT 1303, RBJ 2016 Page 468, RBJ 2012 Page 26, RRD 1993 Page 206, 2017(1) RRT 491 से हम सहमत है। जहां तीनो बिंदुओ में से एक भी बिंदु साबित होता है तो अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है। अतः प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में बखूबी [illegible]। यद्यपि मूलवाद का निस्तारण उभपक्षकारान को विस्तृत रूप से सुना जाकर तथा साक्ष्य के दृष्टिगत किया जाना है जो कि हस्तगत प्रार्थना पत्र के हाल निर्णय से किसी भी रूप में तथा किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है, परन्तु प्रस्तुत तथ्यों, तर्कों व दस्तावेजो के अनुसार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्टया तथ्यों के दृष्टिगत मात्र प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उभयपक्षकरान को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे विवादित भूमि अराजी खसरा नम्बर 371/1423, 375, 375/1426, 376, 377, 378, 378/1427, 378/1429, 378/1430, 379, 390, 390/1435, 391, 391/1436, 402, 403 वाके ग्राम रायथल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र

सहायक कलक्टर
सांगानेर, जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:39:24 IST
Reason: SelfAttested

जयसिंहपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर में मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। उक्त टी0 आई0 आदेश सीमाज्ञान/पत्थरगढी के विधिक आदेश की पालना में एवं रास्ता खुलवाने एवं नवीन रास्ता चाहने संबंधी विधिक प्रकिया की पालना में लागू नहीं होगी। इसके अतिरिक्त सरकारी योजनाओ के लाभ लेने पर लागू नहीं होंगे प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:39:24 IST
Reason: SelfAttested